महत्वपूर्ण/तुरन्त

संख्या- 510 ई-2/तेरह-2004-07/2002

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 26 फरवरी, 2004

विषय:- वर्ष 2004-05 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-194/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/04-05 दिनांक 14 जनवरी, 2004, जी-198/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/04-05 दिनांक 17 जनवरी, 2004, जी-201/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/04-05 दिनांक 23 जनवरी, 2004, जी-214/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/04-05 दिनांक 10 फरवरी, 2004, जी-215/दस-लाइसेंस-64/फुटकर भांग व्यवस्थापन नीति/04-05 दिनांक 10 फरवरी, 2004 एवं जी-236/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नियमावली/03-04 दिनांक 10 फरवरी, 2004 एवं जी-236/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/04-05 दिनांक 23 फरवरी, 2004 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2004-05 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के मुझे निर्देश हुए हैं :-

1. दुकानों का व्यवस्थापन :-

(1) वर्ष 2004-05 के लिये आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/ सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(2) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2003-04 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिये की प्रति प्रार्थनापत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू0 1500 देय होगा।

(3) नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2003-04 के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया हो।

(4) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलाम), नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जाए।

(5) जनपदवार नवीनीकरण तथा नई दुकानों के सृजन (देशी/विदेशी मदिरा व बियर) का पूर्ण अनुमान प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी से दिनांक 5.3.2004 तक प्राप्त कर

क्रमश:-----2..

26/2/04

... प्रेषित किया जायेगा, जिससे शासन के पास
शासन के पूर्णकालिक आबकारी आयुक्त द्वारा ... देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण
स्थिति स्पष्ट हो कि देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों (नव सृजित दुकानों को
पद्धति से व्यवस्थापन होगा और अवशेष फुटकर दुकानों
सम्मिलित करते हुए) का सार्वजनिक लाटरी की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापन होगा।

2. <u>देशी मदिरा:-</u>

(2.1) <u>न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा</u> न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत
वर्ष 2003-04 में देशी मदिरा की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी के रूप में) 16.43 करोड़ बल्क लीटर में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2004-05 के लिये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (18.89 करोड़ बल्क लीटर) (36 प्रतिशत वी/वी के रूप में) निर्धारित की जाती है।

दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम वर्तमान अनुज्ञापियों से उनकी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त किया जाए।

दूसरे चरण में अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन के लिये 12 प्रतिशत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बढ़ाते हुए लाटरी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र मांगे जाएं।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत 18.40 करोड़ बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन वर्तमान दुकानों के माध्यम से अवश्य होना है, अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन वर्तमान में सृजित उप दुकानों तथा नई दुकानों पर किया जाए। अतः प्रत्येक परिस्थिति में विभाग का यह दायित्व होगा कि वह 18.89 करोड़ बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन माह मार्च, 2004 में करायें।

(2.2) <u>मौलिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल शुल्क -</u> निर्धारित मौलिक लाइसेंस फीस व
वर्ष 2003-04 में देशी मदिरा की दुकानों की
प्रतिफल शुल्क वर्ष 2004-05 में भी यथावत् रहेगा।

(2.3) <u>नवीनीकरण शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस -</u> के रूप में नगर निगम क्षेत्र के
देशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस लिये रू0 8,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के
लिये रू0 10,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू0 3,000/- प्रति दुकान
लिये रू0 6,000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 1500 देय
होगी। उक्त हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में
होगा।

(2.4) <u>देशी मदिरा की श्रेणियाँ एवं मूल्य का निर्धारण -</u> 36 प्रतिशत वी/वी व 25
वर्ष 2003-04 में प्रचलित देशी मदिरा की 2 श्रेणी- देशी मदिरा की दो नई श्रेणियां
प्रतिशत वी/वी, को वर्ष 2004-05 में यथावत् रखते हुए, सृजित की जाएं। वर्ष 2004-05 में देशी
20 प्रतिशत वी/वी तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की देशी मदिरा पर
मदिरा की उक्त चार श्रेणियों में से 25 एवं 36 प्रतिशत वी/वी की देशी मदिरा पर अधिकर एवं
अधिकर तथा थोक/फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2003-04 में अनुमोदित अधिकर एवं
थोक/फुटकर विक्रय मूल्य के बराबर होगा तथा शेष दो नई श्रेणियों-20 व 42.8
प्रतिशत वी/वी की देशी मदिरा पर अधिकर एवं थोक/फुटकर विक्रय मूल्य पूर्व में
अनुमोदित 36 व 25 प्रतिशत वी/वी की श्रेणी की देशी मदिरा के लिये अनुमोदित
अधिकर एवं थोक/फुटकर विक्रय मूल्य के समानुपातिक होगा।

(2.5) <u>देशी मदिरा की आपूर्ति-</u>

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2003-04 की भांति वर्ष 2004-05 में सी.सी. एल.-2 के माध्यम से करायी जायेगी तथा सी.एल.-2 की लाइसेंस फीस रू0 3 लाख प्रति वर्ष के स्थान पर रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

(2.6) <u>देशी मदिरा की दुकानों की सीमा -</u>

एक व्यक्ति को 2 से अधिक देशी मदिरा की दुकानें लेने के प्रतिबन्ध को 2004-05 के लिये समाप्त किया जाता है।

(2.7) <u>दुकानों का अस्थायी व्यवस्थापन -</u>

दैनिक व्यवस्थापन के लिये 1/1000 प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस के स्थान पर उस दुकान के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस का 1/365 दैनिक लाइसेंस फीस ली जाएगी।

देशी शराब की फुटकर दुकान की लाइसेंस फीस वर्ष के मध्य में व्यवस्थापित होने वाली देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस का निर्धारण दुकान के लिये अवशेष एम0जी0क्यू0 पर ही किया जाए।

(2.8) <u>बिक्री की अवधि -</u>

आबकारी दुकानों की समयावधि प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगी।

(2.9) <u>देशी शराब के सेवुलों का अनुमोदन -</u>

देशी शराब की बोतलों के सेवुलों पर बैच नम्बर व निर्माण की तिथि अंकित कराये जाने हेतु सभी आसवनियों को निर्देशित कर दिया जाए। इसके लिये कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।

3. <u>विदेशी मदिरा-</u>

(3.1) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा, जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा अथवा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(3.2) <u>नवीनीकरण शुल्क-</u>

विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ष 2004-05 में नगर निगम क्षेत्र दुकानों के लिये रू0 20,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू0 14,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये रू0 10,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू0 3,000/- होगी। उक्त हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 1500 देय होगा।

(3.3) <u>लाइसेंस फीस -</u>

वर्ष 2003-04 में विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये निर्धारित 9 श्रेणियों को यथावत रखते हुए उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही या उससे ऊपर की श्रेणी की लाइसेन्स फीस में (बिक्री के आधार पर) नवीनीकरण के लिए अनुमन्य होगी, अर्थात यदि कोई अनुज्ञापी वर्तमान श्रेणी में अपनी दुकान का नवीनीकरण नहीं कराना चाहता है और उससे निम्न श्रेणी में कराना चाहता है तो उसकी दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा अपितु उक्त दुकान को बढ़ी हुई श्रेणी में सार्वजनिक

क्रमशः ... 4-

26/2/04

आढ़ती/आफर के माध्यम से व्यवस्थापित किया जायेगा, जिसके लिये भी प्रत्येक मार्कापत्र एवं लेबल पर पोलीसिंग फीस के रूप में रू0 1500/- देय होगा।

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस की 1/1000 के स्थान पर 1/365 भाग होगी।

(3.4) <u>विदेशी मदिरा पर प्रतिफल शुल्क एवं मूल्य निर्धारण</u> -

विदेशी मदिरा पर प्रतिफल शुल्क निर्धारण हेतु वर्ष 2003-04 में प्रचलित श्रेणियां, प्रतिफल शुल्क तथा विक्रय मूल्य निर्धारण पूर्व यथावत् रहेंगे, किन्तु कुछ विदेशी मदिरा के ब्राण्डों की एम.आर.पी. ऐसी हो गई है, जिसे राउण्ड आफ करना आवश्यक है। अतः इसके लिये विदेशी मदिरा का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 5 के गुणांक में अगले स्तर पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस धनराशि को आबकारी राजस्व में समाहित करते हुए प्रतिफल फीस के रूप में लिया जाएगा।

(3.5) <u>विदेशी मदिरा की आपूर्ति</u> -

विदेशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2003-04 की भांति वर्ष 2004-05 में भी एफ.एल.-2 के माध्यम से कराई जाएगी तथा एफ.एल.-2 की लाइसेंस फीस रू0 3 लाख प्रति वर्ष के स्थान पर रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

(3.6) <u>विदेशी मदिरा पर आयात शुल्क</u> -

वर्ष 2003-04 में विदेशी मदिरा पर आरोपित आयात शुल्क रू0 2/- प्रति बोतल के स्थान पर वर्ष 2004-05 में रू0 4/- प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क रखा जाए।

(3.7) <u>विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क</u> :-

वर्ष 2004-05 में विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाए:-

क्र0	बोतल की श्रेणी	वर्ष 2003-04 की बोतल भराई शुल्क		वर्ष 2004-05 के लिये बोतल भराई शुल्क	
		एफ0एल0-3 के लिये	एफ0एल0-3ए के लिये	एफ0एल0-3 के लिये	एफ0एल0-3ए के लिये
1.	1000 मि0ली0 की बोतल	1.30 रू0 प्रति बोतल	1.70 रू0 प्रति बोतल	2.00 रू0 प्रति बोतल	2.40 रू0 प्रति बोतल
2.	700मि0ली0 या 750 मि0ली0 की बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल	1.35 रू0 प्रति बोतल	1.50 रू0 प्रति बोतल	1.05 रू0 प्रति बोतल
3	500 मि0ली0 की बोतल	0.70 रू0 प्रति बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल	1.05 रू0 प्रति बोतल	1.30 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मि0ली0 की बोतल	0.60 रू0 प्रति बोतल	0.80 रू0 प्रति बोतल	0.85 रू0 प्रति बोतल	1.05 रू0 प्रति बोतल
5.	180 मि0ली0 की बोतल	0.40 रू0 प्रति बोतल	0.50 रू0 प्रति बोतल	0.55 रू0 प्रति बोतल	0.65 रू0 प्रति बोतल
6.	100 मि0ली0 की बोतल	0.20 रू0 प्रति बोतल	0.25 रू0 प्रति बोतल	0.25 रू0 प्रति बोतल	0.30 रू0 प्रति बोतल
7.	90 मि0ली0 प्रति बोतल	-	-	0.25 रू0 प्रति बोतल	0.30 रू0 प्रति बोतल
8.	60 मि0ली0 की बोतल	0.15 रू0 प्रति बोतल	0.20 रू0 प्रति बोतल	0.20 रू0 प्रति बोतल	0.25 रू0 प्रति बोतल

26/2/04

(3.8) वाइन पर आयात शुल्क -

वर्ष 2004-05 हेतु वाइन का आयात शुल्क रू0 2/- प्रति बोतल (750 एम0एल0) के स्थान पर रू0 1/- प्रति लीटर की दर से निर्धारित किया जाए।

(3.9) कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क -

कम तीव्रता के मादक पेय के निर्यात शुल्क का प्राविधान नियमों में नहीं है। इसका निर्यात अन्य प्रान्तों को हो सके, इसके लिये इस पर निर्यात शुल्क रू0 1/- प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है।

(3.10) अन्य प्रान्तों में कम तीव्रता के मादक पेय के लिये बान्ड की सुविधा -

अन्य प्रान्तों में निर्मित कम तीव्रता के अल्कोहलिक बेवरेज के लिये बान्ड की सुविधा का प्राविधान नहीं है। प्रदेश के बाहर की आयातित बीयर की बिक्री उत्तर प्रदेश में अनुमन्य करने के लिये बन्धित गोदाम का प्राविधान किया जाए तथा इसका बान्ड की फीस रू0 25,000 (पच्चीस हजार रू0) वार्षिक निर्धारित की जाती है।

4. बियर

(4.1) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन एवं नवीनीकरण शुल्क :-

बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा, जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा अथवा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

बियर की दुकानों के नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ष 2004-05 में नगर निगम क्षेत्र दुकानों के लिये रू0 20,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू0 14,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये रू0 10,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू0 3,000/- होगी। उक्त हेतु प्रत्येक आवेदनपत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 1500 देय होगा।

(4.2) बियर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस

वर्ष 2003-04 के लिये बियर की निर्धारित श्रेणियों एवं शर्तों को यथावत रखते हुए उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही या उससे ऊपर की श्रेणी की लाइसेन्स फीस (बिक्री के आधार पर) में नवीनीकरण के लिए अनुमन्य होगी, अर्थात यदि कोई अनुज्ञापी वर्तमान श्रेणी में अपनी दुकान का नवीनीकरण नहीं कराना चाहता है और उससे निम्न श्रेणी में कराना चाहता है तो उसकी दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा अपितु उक्त दुकान को बढ़ी हुई श्रेणी में लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थापित किया जायेगा, जिसके लिये प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में भी रू0 1,500 लिया जाए।

बियर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस की 1/1000 भाग के स्थान पर 1/365 भाग होगी।

26/2/04

कृपया ... 6

(4.3) बियर, वाइन, पोर्टर, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर प्रतिफल शुल्क एवं मूल्य निर्धारण :-

वर्ष 2003-04 में बियर पर निर्धारित अधिभार की दरों को वर्ष 2004-05 में यथावत रखा जाए तथा बियर के मूल्य का निर्धारण पूर्व वर्षों की भांति अपर आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(4.4) बियर पर निर्यात शुल्क में वृद्धि

बियर पर निर्यात शुल्क 1 अप्रैल, 1992 से मात्र 50 पैसे प्रति लीटर लिया जा रहा है। बियर पर एक्सपोर्ट फीस 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ा कर 1.00 रुपये प्रति लीटर किया जाता है।

(4.5) बियर पोर्टर, वाइन, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क :-

बियर, पोर्टर, वाइन, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय हेतु आयात शुल्क रु0 1/- प्रति बोतल के स्थान पर रु0 2/- प्रति लीटर निर्धारित किया जाए, तथा इसी दर पर कम तीव्रता के मादक पेय का भी आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(4.6) बियर पोर्टर, वाइन, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल भराई शुल्क में वृद्धि किया जाना :-

वर्ष 2003-04 में निर्धारित बियर की बोतल भराई शुल्क में 10 पैसा प्रति बोतल (650 एम0एल0) वृद्धि करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

धारिता एम0एल0 में	एफ0एल0-3	एफ0एल0-3ए
650 एम0एल0	0.55 रु0	0.65 रु0
350 एम0एल0 या इससे कम	0.30 रु0	0.40 रु0

5. ड्राट बियर

(5.1) ड्राट बियर पर प्रतिफल शुल्क :-

वर्ष 2004-05 में माइल्ड व स्ट्रांग ड्राट बियर पर माइल्ड व स्ट्रांग बियर के समान ही प्रतिफल शुल्क लिया जाए।

(5.2) ड्राट बियर पर आयात शुल्क:-

उत्तर प्रदेश में अन्य प्रान्तों एवं केन्द्र शासित राज्यों से आने वाली ड्राट बियर को आयात शुल्क से मुक्त रखा जाए।

(5.3) ड्राट बियर को ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्क से मुक्ति :-

ड्राट बियर को ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्क से मुक्त रखा जाए तथा प्रदेश के समस्त बार अनुज्ञापनों में ड्राट बियर की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है।

(5.4) बियर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन :-

वर्ष 2004-05 में बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय पदार्थ पर ब्राण्डवार रजिस्ट्रेशन फीस क्रमशः 10,000, 5,000 एवं 3,000 रुपये प्रति ब्राण्ड ली जाए।

क्र.

6. मॉडल शाप्स

(6.1) शर्तें :-

वर्ष 2004-05 के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी :-

1. मॉडल शाप्स के लिये कम से कम 600 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए।
2. दुकानें व्यावसायिक रूप से स्वीकृत (कामर्शियली अप्रूव्ड एरिया) क्षेत्र में ही खोली जाएंगी।
3. दुकान में ट्वायलेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
4. दुकान पूर्णतया वातानुकूलित होगी।

मॉडल शाप्स के अनुज्ञापनों को अगले 5 वर्षों तक शासन द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

(6.2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2004-05 में महानगरों में खुलने वाली मॉडल शाप्स के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु अन्य नगरों में भी मॉडल शाप्स खुलें, इसके लिये अन्य नगरों की मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस रू0 10 लाख के स्थान पर रू0 8 लाख वार्षिक रखी जाए। साथ ही राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रतिबन्ध लगाया जाए कि अन्य नगरों के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस को रू0 8 लाख वार्षिक अथवा उक्त निकाय क्षेत्र में विदेशी मदिरा की सबसे अधिक लाइसेंस फीस और बियर की दुकान की सबसे अधिक लाइसेंस फीस को जोड़कर, जो भी अधिक हो; वही धनराशि उक्त जनपद में खुलने वाली मॉडल शाप की लाइसेंस फीस होगी। उदाहरण के लिये किसी छोटे नगर में विदेशी मदिरा की अधिकतम लाइसेंस फीस 12 लाख और बियर की अधिकतम लाइसेंस फीस 2 लाख है, तो उस नगर के लिये मॉडल शाप की लाइसेंस फीस 8 लाख न होकर 14 लाख होगी। वर्ष 2004-05 में मॉडल शाप्स पर विदेशी मदिरा, बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के पिलाने की भी सुविधा होगी, जिसके लिये रू0 50,000 अतिरिक्त लाइसेंस फीस देय होगी। आबकारी आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2004-05 में कम से कम 150 नई मॉडल शाप्स खुलें, इसके लिये जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

(6.3) नवीनीकरण-

प्रदेश में इस वर्ष खुली 17 मॉडल शाप्स अगले वर्ष 2004-05 के लिये नवीनीकृत कर दी जाएं तथा इसके लिये नवीनीकरण शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 25,000/- लिये जाएं।

7. सत्र के मध्य में नई दुकानें खोलने का अधिकार :-

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार सत्र के मध्य में देशी/विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत तक नई दुकानें खोल सकेंगे। 10 प्रतिशत से अधिक दुकानें खोलने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। मॉडल शाप्स की दुकानें खुलने की प्रक्रिया वर्ष-पर्यन्त चलेगी।

26/2/04

8. अन्य आदेश -

(8.1) निर्यात परमिट फीस -

1. 01 अप्रैल, 2004 से विकृत अल्कोहल एवं पावर अल्कोहल पर निर्यात फीस 1.00 रू0 प्रति लीटर कर दी जाए।

2. वर्ष 2004-05 में रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं ई0एन0ए0 पर निर्यात परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाए :-

रेक्टिफाइड स्प्रिट	2.50 रूपये प्रति लीटर
एब्सल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 -	3.00 रूपये प्रति लीटर

(8.2) अल्कोहल पर आयात परमिट फीस -

अल्कोहल पर आयात परमिट फीस लिये जाने का प्राविधान अभी तक नियमों में नहीं है। अतः नियमों में अल्कोहल आयात का प्राविधान करके उत्तर प्रदेश में आयात परमिट फीस रू0 1.50 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(8.3) परचेज टैक्स -

परचेज टैक्स की प्रचलित 2 श्रेणियों को समाप्त करके केवल एक ही श्रेणी 0.00 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है।

(8.4) डिनेचुरेशन फीस

नियमों में उत्तर प्रदेश में एफ0एल0-16, 17, 39, 40 तथा 41 अनुज्ञापनों पर बिक्री की जाने वाली स्प्रिट पर 10 पैसे प्रति लीटर की दर से डिनेचुरेशन फीस लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली विकृत सुरा (जिसमें पावर अल्कोहल भी सम्मिलित है) सम्मिलित नहीं है। इस कारण इस पर डिनेचुरेशन फीस प्राप्त नहीं हो रही है। नियमावली में संशोधन करके सभी प्रकार की विकृत स्प्रिट पर 15 पैसे प्रति लीटर डिनेचुरेशन फीस ली जाए।

(8.5) बार लाइसेंस फीस में वृद्धि -

वर्ष 2004-05 में सभी श्रेणी की बार लाइसेंस फीस में समान रूप से रू0 25,000/- की वृद्धि की जाती है।

(8.6) बन्धागार गोदाम -

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए (विदेशी मदिरा), बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2बी (बियर, साइडर, पोर्टर, एल.) तथा बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2सी (वाइन) के लिये निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस यथावत् रखी जाए तथा कम तीव्रता के मादक पेय के लिये एक नये बन्धागार गोदाम- बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2डी को सृजित किया जाए, जिसकी वार्षिक लाइसेंस फीस रू0 0.25 लाख वार्षिक होगी। इन मादक अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी की जाती है :-

क्रमांक	अनुज्ञापन का नाम	वर्तमान	वर्ष 2004-05 के लिये निर्धारित
1.	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए	रू0 1.00 लाख	रू0 3.00 लाख
2.	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2बी	रू0 0.15 लाख	रू0 1.00 लाख
3.	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2सी	रू0 0.15 लाख	रू0 0.25 लाख
4.	बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2डी	--	रू0 0.15 लाख

26/2/04

(8.7) उत्तरांचल से आयातित बियर फीस:-

वर्ष 2003-04 में उत्तरांचल की आयातित बियर पर अधिरोपित आयात परमिट फीस रु0 30/- प्रति बोतल (650 एम0एल0) में कमी करते हुए वर्ष 2004-05 के लिये स्ट्रांग बियर के लिये रु0 25/- प्रति बोतल तथा माइल्ड बियर पर रु0 20/- प्रति बोतल निर्धारित की जाती है।

(8.8) ताड़ी व भांग की दुकानों का व्यवस्थापन एवं अधिभार:-

इन दोनों प्रकार की दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया, फीस एवं अधिभार यथावत् रहेगा।

(8.9) उपर्युक्त निर्णयों के अतिरिक्त शेष प्राविधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।

9. वर्ष 2004-05 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य:-

वर्ष 2004-05 के लिये राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमान एवं शासन स्तर पर हुई अनेक बैठकों में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था:-

1.	देशी शराब की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस	1000 करोड़ रुपये
2.	विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस (मॉडल शाप सहित)	600 करोड़ रुपये
3.	बियर की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस	150 करोड़ रुपये
4.	अन्य प्राप्तियाँ	250 करोड़ रुपये
	योग	2000 करोड़ रुपये

उपरोक्त अनुमानित लक्ष्य में 120 करोड़ रु0 की वृद्धि की जाती है। अर्थात् 2004-05 में आबकारी राजस्व के लक्ष्य के रूप में रु0 2120 करोड़ निर्धारित किया जाता है। आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व प्राप्ति के आकलन में रु0 120 करोड़ की वृद्धि अर्थात् कुल रु0 2120 करोड़ की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये जनपदों से पुनः जनपदवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट कार्य योजना बनाकर शासन को 15 मार्च, 2004 तक प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 के पूर्व जनपदवार/दुकानवार/माहवार वर्ष 2004-05 में लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी के रूप में अनुमानित धनराशि तथा उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस मद में प्राप्तियों का सत्यापन ट्रेजरी से कराया जाए।

/विशेष

11. मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य-निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2003-04 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित 29 चेक पोस्टों एवं 10 सचल दलों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गये अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाए।

26/2/04

क्रमशः 10

१२. उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन किया जाना हो, उनका समान स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2005 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। जिन नियमों/अधिसूचनाओं का प्रख्यापन शासन स्तर से किया जाना है, उनका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

25/2/05

(अनीता मिश्र)